

Proposal to introduce special Buses for Handicapped in Delhi

10100. SHRI HARIHAR SOREN: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal for the introduction of special buses for the handicapped in Delhi;

(b) if so, the number of buses which are proposed to be introduced by the Delhi Transport Corporation in different routes; and

(c) when the above proposal is likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): (a) No, Sir.

(b) and (c). Does not arise.

पटना स्टेशन में एमरजेंसी लाइट की व्यवस्था

10101. श्री रामाबतार शास्त्री: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पूर्वी रेलवे के कुछ स्टेशनों पर बिजली बन्द हो जाने की स्थिति में बिजली को रक्षण बनाये रखने के लिए एमरजेंसी लाइट की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या पटना जंक्शन पर एमरजेंसी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की गई है यद्यपि यह महत्वपूर्ण जंक्शन है;

(घ) यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हाँ।

(ख) 191 स्टेशनों पर बिजली बन्द हो जाने की स्थिति में बिजली सप्लाई के वैकल्पिक माधनों की व्यवस्था मौजूद

(ग) जी, हाँ।

(घ) और (ङ) पिछले एक वर्ष में, मौजूदा स्तरों से पटना जंक्शन के लिए बिजली का सप्लाई अभी तक काफी विश्वसनीय रही है। औसत 12-12 मिनट की अवधि के लिए 145 बार बिजली सप्लाई में व्यवधान पड़ा था वहरहाल बिहार राजा विश्वतु बोर्ड बिजली सप्लाई का वर्तमान स्थिति को देखते हुए पटना जंक्शन पर बिजली को अनिवार्य जरूरत को पूरा करने के लिए 2 छोटे जनित्र लगाये जा रहे हैं और शांघ हो इस कार्य के पूरा हो जाने की प्रत्याशा है।

Station Masters to Sanction Leave for Fifteen Days

10102. SHRI DAYA RAM SHAKYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Railway Board had authorised the Station Masters to sanction leave to the staff upto fifteen days in emergency or otherwise;

(b) why the authorities of Delhi Division have banned Station Masters to sanction leave; and

(c) the procedure which Railway Board propose to adopt to grant leave immediately in case of emergencies